भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4324
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना चल रही खानें

4324. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश में कितनी खानें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के बिना चल रही हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना चल रहे अवैध खनन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;
(ग) क्या सरकार के पास बिहार जैसे अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले तक खनिजों के परिवहन को रोकने की कोई प्रणाली है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) प्रमुख खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें देने के लिए ई-नीलामी की पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण पद्धति शुरू करने हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था। अब तक, कुल 457 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। खनन पट्टे पर हस्ताक्षर करने से पहले, पट्टाधारकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लागू कानूनों और विनियमन के तहत यथा आवश्यक सभी अनुमोदन, अनुमतियां, अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और इसी तरह की अन्य मंजूरियां प्राप्त करनी आवश्यक हैं।

(ख) से (ड.): खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और इससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, अवैध ढुलाई सहित अवैध खनन पर नियंत्रण करना मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार समय-समय पर नीतिगत पहलों के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन और संवर्द्धन करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने क्रमशः उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2018 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 बना लिए हैं।

*****